

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

## POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

CIN No.L40101DL1989GOI038121

(A Government of India Enterprises)



पावरग्रिड

उत्तरी क्षेत्र-III क्षेत्रीय मुख्यालय: Northern Region-III Regional Head Quarter

कार्यालय : 12, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226 001 (उ.प्र.) : दूरभाष : 0522-2205155 ई-मेल : rhq.nr3@powergrid.co.in  
Office : 12, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226 001 (U.P.) : Tel : 0522-2205155 E-Mail : rhq.nr3@powergrid.co.in

सन्दर्भ संख्या / Ref. No. :

संदर्भ: पावरग्रिड/उ. क्षे.-3/आर०टी०आई०/19-20/8

दिनांक: 26.07.2019

सेवा में,

श्री विजेंद्र सिंह एडवोकेट  
पुत्र श्री नत्थी सिंह  
पता- ग्राम - कुंडोल पोस्ट कुंडोल,  
जिला -आगरा, उ०प्र०

**विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत, आपके पत्र दिनांक 04.07.2019 के संबंध में**

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक 04.07.2019 पावरग्रिड क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को दिनांक 09.07.2019 को प्राप्त हो गया है। इस सन्दर्भ में मांगी गई जानकारी निम्नवत है :-

बिन्दु सं	मांगी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	765 के०वी० मेरठ आगरा की विद्युत् लाइन के लोकेशन नंबर-11/0 के सम्बन्ध में जमीन फसल की क्षति पूर्ति कीअदायगी किस-किस व्यक्ति को विभाग द्वारा की गई तथा कितनी-कितनी धनराशि अदा की गई और कितनी किस्तों में की गई?	765 के०वी० मेरठ-आगरा पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान लोकेशन नं० 11/0 पर निम्न कृषकों को फसल क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिया गया - <ol style="list-style-type: none"><li>1. श्री अनेक सिंह पुत्र श्री सोवरन सिंह</li><li>2. श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री शिवचरण अग्रवाल</li><li>3. श्री प्रेम सिंह पुत्र भगवान् सिंह</li><li>4. श्री नारायण उपाध्याय पुत्र श्री मेघराज उपाध्याय</li><li>5. श्री सीताराम पुत्र लटूरी सिंह</li></ol> <p>यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि प्रभावित किसानों को लाइन निर्माण के दौरान होने वाली फसल, वृक्ष इत्यादि की क्षतिपूर्ति हेतु दी गई मुआवजा राशि के विवरण सम्बन्धी जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण, सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत साझा नहीं की जा सकती है।</p>

बिन्दु सं	मांगी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
02.	उपरोक्त लोकेशन नं० 11/0 पर खड़े हरे पेड़ों को काटने की अनुमति विभाग द्वारा किस व्यक्ति को दी गई ?	इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी गयी है।

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**

श्री संजय गुप्ता  
कार्यपालक निदेशक, पावरग्रिड उ० क्षेत्र - 3  
12 राणा प्रताप मार्ग  
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल  
लखनऊ - 226001

धन्यवाद,

*कैलाश कुमार गुप्ता*  
भवदीय,  
26/04/19

[कैलाश कुमार गुप्ता]  
वरि० महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)  
पदांकित सी. पी. आई. ओ. - उ. क्षेत्र - 3,  
पावरग्रिड, लखनऊ